7 Mob Analyst

रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 13—जून 19, 2004, शनिवार/ज्येष्ठ 23—ज्येष्ठ 29, 1926
No. 25] NEW DELHI, JUNE 13—JUNE 19, 2004, SATURDAY/JYAISTHA 23—JYAISTHA 29, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 जून, 2004

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती नियम, 2001 और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में मानचित्र विश्लेषक के उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (मानचित्र विश्लेषक) भर्ती नियम, 2004 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से कालम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से कालम (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

174)

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है
1	2	3	4	5
मानचित्र विश्लेषक	02* (2004) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित अननुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	क्या सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है।	प्रोन्नति : ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ ड्राईंग सहायक । टिप्पणी : जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों के नाम पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा की आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, की अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो।

11	12
	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त/अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक संगठनों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो :— (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500—10500 रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष; (ii) अनुप्रयुक्त मानचित्रकारी में दो वर्ष का अनुभव। (फीडर वर्ग के वे विभागीय कर्मचारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
प्रोन्नति पर विचार के लिए समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) —सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय और इन भर्ती नियमों के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने/छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12032/8/99-प्रशा.-II]

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 3rd June, 2004

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Rules, 2001, and the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment (Amendment) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said posts of Map Analyst in the Office of the Registrar General, India, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, Classification and scale of pay.**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
Map Analyst	02*.(2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Selection	Not applicable

Wether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation including short-term contract	**Promotion :** Senior Drawing Assistant with three years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such

12	
	qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :—** Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised Research Institutions/Autonomous/Semi-government or Statutory Organisations : (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Master's Degree in Geography of a recognised University or equivalent; (ii) Two years' experience in applied Cartography. [The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications].

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract) and for amendment/ relaxation of any provision of these rules.
1. Registrar General, India	—Chairman	
2. Joint Registrar General, India	—Member	
3. Deputy Registrar General (Map)	—Member	

[F. No. A-12032/8/99-Ad.-II]
J.K. BANTHIA, Registrar General, India

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(मुद्रा एवं सिक्का)

नई दिल्ली, 8 जून, 2004

सा.का.नि. 200.—उप तकनीकी अधिकारी (जाली नोट जांच प्रकोष्ठ) के पद के लिए दिनांक 13-9-2002 को भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) (सा.का.नि. 319) पृष्ठ संख्या 1964 पर प्रकाशित इस विभाग की दिनांक 29-8-2003 की अधिसूचना संख्या फा. 4 (29)/2002-मुद्रा-II (बी.एन.पी.) में उप तकनीकी अधिकारी (जाली नोट जांच) की मौजूदा प्रविष्टियों की नीचे की अनुसूची को इस प्रकार पढ़ा जाए,—

"6ए उप तकनीकी अधिकारी (जाली नोट जांच)"।

[फा. सं. 4 (29)/2002-मुद्रा-II (बी.एन.पी.)]

ए. के. खन्ना, अवर सचिव

1759GI/04

(178

[To be published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i)]

Government of India
Ministry of Home Affairs
(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 24-04-,2007

Notification

G. S. R.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Map Analyst) Recruitment Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India, (Map Analyst) Recruitment Rules, 2004,-

(a) in column 13, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion:-

1. Registrar General, India - Chairman
2. Additional Registrar General, India/Joint Registrar General, India - Member
3. Deputy Registrar General (Map)/Assistant Registrar General (Map) - Member";

(b) in column 14, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract)".

(D. S. Saini)
Under Secretary to the Government of India
[F. No. A- 12032/8/99-Ad.II]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G. S. R. 199 dated the 19th June, 2004.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road.New Delhi.